

का.आ. 1823(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 373 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इंपैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, मार्फत यू एन डी पी, रवीन्द्र मैनसेन, दिनशा वाघा रोड, मुम्बई -400034 द्वारा “लाइफ लाईन- एक्सप्रेस” (चलता फिरता अस्पताल) को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 1 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंपैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, मार्फत यू एन डी पी, रवीन्द्र मैनसेन, दिनशा वाघा रोड, मुम्बई -400034 द्वारा चलाई जा रही “लाइफ लाईन- एक्सप्रेस” (चलता फिरता अस्पताल) की परियोजना या स्कीम को 351.02 लाख रुपये की अनुमोदित लागत (119.19 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित) में बिना कोई परिवर्तन के अर्थात् वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।